प्रेषक,

संख्या-5/2015/724/79-6-2015

एच0एल0 गुप्ता,
सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (बेसिक)
उ0प्र0 लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग-6

लखनऊ दिनांक 26 जून, 2015

विषय- मा0 न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में अनुदान सूची में सम्मिलित सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या एवं वेतन भुगतान हेतु अनुमन्यता के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-स0नि0बे0/7505/2015-16 दिनांक 13-06-2015 के संदर्भ में मुझे आपसे यह कहने का निदेश हुआ है कि सिविल अपील सं0-3989/2006 उ0प्र0 राज्य बनाम पवन कुमार द्विवेदी व अन्य में पारित मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश दिनांक 02-09-2014 एवं उक्त निर्णय के अनुसरण में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित विभिन्न निर्णयों के अनुपालन में अनुदान सूची में सम्मिलित जू0हा0स्कूल से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या, योग्यतायें एवं वेतन भुगतान के संबंध में नियमानुसार कार्यवाही की जाय:-

(1) सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापकों की अनुमन्य संख्या नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 में वर्णित मानकों के अनुसार निम्नानुसार निर्धारित की जायेगी:-

कक्षा	छात्र/छात्राओं की संख्या	शिक्षकों की संख्या
पहली से पांचवी कक्षा के लिए	साठ तक	दो
	इकसठ से नब्बे तक	तीन
	इक्कानवे और एक सौ बीस के मध्य	चार
	एक सौ इक्कीस और दो सौ के मध्य	पांच
	दो सौ से अधिक	छात्र-शिक्षक अनुपात चालीस से अधिक नहीं होगा।

सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापकों की संख्या निर्धारित करने हेतु कक्षा-1 से 5 तक की छात्र संख्या का आंकलन करने के लिए अनुदान में सम्मिलित विद्यालय का जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी व खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा संयुक्त रूप से तीन आकस्मिक निरीक्षण किया जायेगा तथा तीनों निरीक्षणों के दौरान उपस्थित वास्तविक औसत छात्र संख्या के आधार पर उपरोक्तवत नि:शुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम-2009 के मानकों के अनुसार अध्यापकों की संख्या अनुमन्य की जायेगी।

(2) सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों के लिए प्रधान अध्यापक का पद एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों का कोई पद अनुमन्य नही किया जायेगा।

(3) सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापकों की योग्यतायें, नियुक्ति का अनुमोदन उत्तर प्रदेश मान्यता प्राप्त बेसिक स्कूल (अध्यापकों की भर्ती तथा सेवा की शर्तें और अन्य शर्तें) नियमावली- 1978 की धारा-9 के अनुसार होना आवश्यक है।

---

1 यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

(4) सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों के शिक्षकों के वेतन भुगतान की अनुमन्यता का अधिकार मण्डलीय समिति में निहित होगा।

(5) सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों को अनुदान सूची पर लिये जाने के फलस्वरूप संबंधित जूनियर हाईस्कूल एवं संबंधित सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालय के पूरे स्टाफ के वेतन भुगतान हेतु अनुदान की धनराशि वित्त नियंत्रक द्वारा एक साथ अवमुक्त की जायेगी। सहायता प्राप्त जूनियर हाईस्कूलों के शिक्षक/शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की भांति सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों के अनुमन्य शिक्षकों का वेतन भुगतान जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी एवं वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा द्वारा किया जायेगा।

(6) अनुदान सूची में सम्मिलित जूनियर हाईस्कूलों से सम्बद्ध प्राइमरी विद्यालयों के अनुमन्य अध्यापकों के वेतन भुगतान हेतु अनुदान मा0 सर्वोच्च न्यायालय/मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के दिनांक से अनुमन्य होगा।

कृपया उक्तानुसार कार्यवाही कराया जाना सुनिश्चित करें।

भवदीय,

(एच0एल0 गुप्ता)
सचिव।

संख्या एवं दिनांक तदैव।

प्रतिलिपि निम्नलिखित सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1- अपर शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0 इलाहाबाद।
2- वित्त नियंत्रक, शिक्षा निदेशालय, उ0प्र0 इलाहाबाद।
3- समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
4- समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी उ0प्र0।
5- समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा उ0प्र0।
6- गार्ड फाईल।

आज्ञा से

(एच0एल0 गुप्ता)
सचिव।

प्रबन्धक
सत्यनाम विद्यापीठ प्रा०पा०
[illegible]

---

1 यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।